

अति-अल्पकालिक निविदा सूचना

पीएसी मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या:पीएसी-लीन 730/2022(1) / 244 दिनांक 27-2-2023 हारा गान्धी मद 29 अनुरक्षण के अन्तर्गत कुल "बैण्ड बैरिक लखनऊ के दक्षिण-पश्चिम में बनी बैरिक की मरम्मत एवं रगाई-पुताई का कार्य" अनुमोदित किया गया। दक्षिण-पश्चिम में बनी बैरिक की मरम्मत एवं रगाई-पुताई का कार्य" अनुमोदित किया गया। खीकृत अनुदान के सापेक्ष उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पत्र संख्या: ग्यारह-2222(बजट)2005 दिनांक 11-6-2012 तथा पत्र संख्या: ग्यारह-1338-2011 दिनांक 23-12-2011 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अनुमोदित के सापेक्ष घयनित कार्य के सम्पादन हेतु रजिस्टर्ड/प्रतिष्ठित फर्म से मुहरबन्द लिये दिनांक 06-03-2023 को आमंत्रित की जाती है।

क्र०	कार्य का नाम	पत्रांत रात	टेंबर कार्य शुल्क	प्रति कार्य
स०				
०१	बैण्ड बैरिक लखनऊ के दक्षिण-पश्चिम में बनी बैरिक की मरम्मत एवं रगाई-पुताई का कार्य	भ-०४/२३	₹० २०० प्रति कार्य	२ प्रतिशत

- १- निविदा फार्म दिनांक ०४-३-२०२३ तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः १०.०० बजे से ०५.०० बजे के मध्य निर्धारित शुल्क ₹० २००/- जमाकर प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- २- उपरोक्त प्रत्येक कार्य हेतु अलग-२ निविदा दिनांक ०६-०३-२०२३ को प्रातः १०.०० बजे से १३.०० बजे तक डाली जा सकती है, जिसे दिनांक ०६-०३-२०२३ को अपराह्न १३.०० बजे वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी उप सेनानायक अथवा सहायक सेनानायक हारा निविदादाता फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।
- ३- सम्पूर्ण कार्य सम्पादन के लिए जिस धनराशि का टेंडर दिया जाये, उसका १ प्रतिशत कोषागार को चालान बनाने के लिए प्रत्येक के साथ प्रेषित किया जाना आवश्यक है ऐसे टेंडर जिनके साथ अर्नेस्ट मनी सलग्न नहीं होगी उन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- ४- उसी व्यक्ति का टेंडर स्थाई अथवा अस्थाई रूप से दिया जाना है, उसके अनुबन्ध पत्र पर बुलाये जाने की तारीख से ०७ दिवस के अन्दर हस्ताक्षर कर देना चाहिए, ऐसा न करने पर उसके अर्नेस्टमनी का धन जब्त कर लिया जायेगा, और टेंडर की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
- ५- यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का टेंडर स्थाई रूप से स्वीकृत कर दिया जाय, उसे संस्था अथवा टेकेदार हारा निर्धारित तारीख से कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- ६- निविदा में प्रस्तावित कार्य की संख्या को कम या अधिक किया जा सकता है। निविदा के साथ सम्बन्धित फर्म को प्रस्तावित कार्य का स्पेशीफिकेशन, उपयोगिता, कार्य पूर्ण करने की अवधि आदि का स्पष्ट विवरण/चार्ट सलग्न करना होगा।
- ७- सम्बन्धित फर्म को निविदा के साथ अपने फर्म के आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चरित्रप्रमाण पत्र, आदि अभिलेख सलग्न करना होगा।
- ८- प्रत्येक निविदा के साथ प्रस्तावित कार्य के कुल धनराशि के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में सलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ९- सरकार/विभाग निविदा न्यूनतम दर के सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार करने अथवा किसी टेंडर को स्वीकार नकरने के कारण को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है।
- १०- कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
- ११- यदि टेकेदार हारा निर्माण/विशेष वार्षिक मरम्मत के कार्यों के निष्पादन में पानी की व्यवस्थानिजी स्तर पर नहीं किया जाता है, तो उसका टेंडर धनराशि का डेढ़ प्रतिशत बतौर पानी चार्ज की वसूली की जायेगी।

- 12- कार्यालय द्वारा कार्य को पूर्ण करने का जो समय निश्चित किया जायेगा उसी अवधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा, यदि ठेकेदार निश्चित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो अनुबन्ध में दी गयी गती के अनुरूप बिलबॉक किये गये अवधि के लिए अनियंत्रित भुगतान रोकटीती कर ली जायेगी।
- 13- जिस ठेकेदार के टेंडर को रद्दीकृत नहीं किया जाता है तो उस दशा में उसके द्वारा टेंडर के साथ जमा की गयी धनराशि को तत्काल उसे वापस कर दिया जायेगा।
- 14- ठेकेदार को नियमानुसार जी०एस०टी० देय होगी।

15- कोई अधिवक्ता, जो बार काउसिल में पंजीकृत होगा, निविदा में भाग नहीं ले सकता है। इसी प्रकार हैंडैक लिस्टेड ठेकेदार/फर्म निविदा नहीं डाल सकेंगे। निविदादाता को निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा कि वे न तो बार काउसिल के पंजीकृत अधिवक्ता हैं न ही उनकी फर्म हैंडैक लिस्टेड की गयी है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकारी अद्योहस्ताक्षरी के पास रहेगा।

16- उक्त कार्यों से सम्बन्धित शर्तें, निर्देश एवं आगणन 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध हैं। इच्छुक फर्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पत्र संख्या भ-04 / 2023

दिनांक: फरवरी 27, 2023

27/02/23
(जय प्रकाश)

सेनानायक,
32वीं वाहिनी पीएसी,
लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु:-

- 1- कॉण्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ०प्र०० पुलिस की वेबसाईट पर कराने का कष्ट करें। (ई-मेल पर)
- 2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर, उन्नाव, बाराबकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, खीरी/सेनानायक 35वीं, 10वीं, 25वीं, 30वीं, 27वीं, 11वीं, 2वीं, वाहिनी पीएसी।
- 3- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी 'अभियन्ता ल००नि०वि०/जिला उद्योगअधिकारी लखनऊ।
- 4- समस्त राजपत्रित अधिकारी/शिविरपाल/सूबेदार सैन्य सहायक/समस्त दलनायक को निविदा का समुचित प्रचार/प्रसार कराने हेतु।
- 5- कार्यालय नोटिस बोर्ड/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन हेतु।
- 6- उप सेनानायक/सहायक सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 6-3-2023 को निविदा प्रपत्र अपने सम्मुख खुलवाकर उसका तुलनात्मक चार्ट अनुमोदन हेतु प्रेषित करें।
- 7- शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से भी उक्त निविदा प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।